रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 1984/चैत्र 1, 1906
No. 78] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 1984/CHAITRA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1984

सं. 78/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

का.आ.नि. 221(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की

अधिसूचना सं. 32/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 परन्तुक में, खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) शक्ति की सहायता के बिना प्रसंस्कृत हथकरघा फेब्रिक और शक्ति करघा फेब्रिक की दशा में, ऐसे फेब्रिक को, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी ;" ।

[एफ. बी. 9/1/84-टी.आर.यू.]

के. एस. वैंकटागिरि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 1984

No. 78|84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 221(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 32|84-Central Excises, dated the 1st March, 1984, namely :—

In the said notification, in paragraph 1, in the proviso, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iia) in the case of handloom fabrics and powerloom fabrics processed without the aid of power, such fabrics shall be exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon under the said Act;".

[F. B. 9|1|84-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984